उपखण्ड अधिकारी

17/16 वकीलों के प्रार्थना पत्र पर मुझे अधीक्षक
मग विभाग तथा विभाग जाया। वकीलों
वादी के अधिकार विभाग के अधिवक्ताओं को और
परेशान नहीं चाहता हूं। अधीक्षक पुलिस के स्थानांतरण
हो चुके हैं। विभाग का अवमानना
चलाने का कोई औचित्य नहीं है
अतः विभाग और पुलिस अधीक्षक को आदेश
प्रसारित की जाते हैं
प्रकरण की फिर से सुनवाई होकर जमानत के
काम है बीस वकीलों का आचार संहिता
दूसरा है।

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़